जावक क्रमांक - 448
दिनांक - 06/06/2025

प्रारूप - दो
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक: 122202537863

संदर्भ क्रमांक: 2796966012

यह प्रमाणित किया जाता है इष्ट श्री वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी, भिलाई सोसायटी जो श्री अंकित कुमार देवांगन, मकान नं. 03 मिन्हा बेकरी के पीछे भामाशाह चौक बजरंग पारा कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ तहसील Durg जिला Durg में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 03/04/2025 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

अनुपमा कुजूर
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Date of Registration

शुल्क 200 चालान क्र. 25003958 दि. 3/5/25
द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्रं/ 122202537863
दिनांक 3/4/25 द्वारा पंजीकृत संस्था की
मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी
का दिनांक 5/6/2025

Digitally signed by Anupama Devi Kujur
Date: 2025.04.03 13:42:51 +05:30
Reason: For Issuing Registration of New Society
Location: State Society

(सतीश कश्यप)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

24AA 605317

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़

इन्द्रवती वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट
सोसायटी
प्रमाण पत्र के साथ संलग्न

(सतीश शर्मा)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम : **इष्ट श्री वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी ,भिलाई**

2.. संस्था का कार्यालय : श्री अंकित कुमार देवांगन , मकान नं. 03 सिन्हा बेकरी के पीछे भामाशाह चौक बजरंग पारा कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़

3. तहसील दुर्ग

4. संस्था का उदेश्श्य

1. देश के सर्व ग्रामीण विकास हेतु युवा प्रतिभाओं को विशेष प्रोत्साहन देना

2. देश में फैली कुरीतियों रूढ़ियों अंधविश्वास ,सामाजिक बुराई मद्यपान दूर करने का प्रयास और कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।

3 देश की ज्वलन समस्याओं के निराकरण हेतु सेमिनार , टेलीफ़िल्म के माध्यम से बीमारियों एवम् घातक बीमारियों के बारे में लोगो को जानकारी एवम् उपाय देना ।

4 ग्रामोद्योग एवं शहरीय उद्योगों , कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना शासन से संबंधित बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रशिक्षण , कौशल विकास कार्य प्रभावों के द्वारा सरकार का सहयोग देना

5 स्वास्थ्य संबंधी सरकार के शिक्षण प्रशिक्षण तथा शिविरों का आयोजन

6 शिक्षा का प्रसार करना एवं बढ़ावा देना है ।

7 साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षण केंद्र चल अचल पुस्तकालय सुविधा हेतु प्रयास करना ।

8 छत्तीसगढ़ी राजभाषा का प्रसार एवं प्रचार करना ।

9 शहर एवं गांवों में साक्षरता मिशन एवं परिवार नियोजन अभियान संचालित करना ।

10 महात्मा गांधी ग्रामोद्योग एवं हथकरघा संबंधित कार्य करना ।

11 समाज को राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित करना

12 ग्रामीण एवं आंचलिक कला संस्कृति के विकास के लिए कार्य करना

13 अतिवृष्टि अनावृष्टि क्षेत्रों में पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना

14 वृद्धाश्रम विधवा आश्रम बाल आश्रम छात्रावास का संचालन करना ।

15 ग़रीब असहाय , अनाथ, विकलांग, विधवा,बालक , बालिकाओं के विकास के लिए कार्य

16 जल संरक्षण एवं पेयजल समस्याओं को समस्या निराकरण के लिए उपाय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहयोग करना

17 राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की विषय को समझाने संबंधित कार्य करना ।

18 पर्यावरण संरक्षण है वृक्षारोपण जीवन ,जल ,जंगल संरक्षण संबंधित कार्य करना ।

19 किसानों के लिए कृषि संबंधित – अनाज कृषि , औषधीय जड़ी बूटी ,फल फूल कृषि , साग सब्जी कृषि , पशुपालन , बकरी पालन , कुटकुट पालन , बटेर पालन , मछली पालन , बाग़वानी फसल चक्र , संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार एवं कार्य करना ।

20 कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शासाकीय योजना कुआ , नलकूप , नदी उपकरण योजना , सिंचाई से संबंधित नहर कैनाल , सौर ऊर्जा कार्यक्रम का प्रसार प्रचार करना ।

21 सामाजिक जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं का प्रसार प्रसार एवं जरूरतमंदों के इलाकों में आवश्यक चीजों का वितरण करना

22 अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के लिए उन्मूलन एवं सामाजिक कार्य करना ।

23 महिला स्वसहायता समूह के गठन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करना

24 महिला सिलाई योजना एवं महिला स्वालंबन योजना का प्रसार प्रचार एवं प्रशिक्षण के कार्य करना ।

25 शिक्षा , महिला बाल विकास , स्वास्थ्य , रेलवे की योजनाओं का कियान्वयन करना ।

26 अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग , सामान्य वर्ग के युवक , युवतियों को आधुनिकी , तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उसको विकास में सहायक भूमिका अदा करना

27 पशुधन गोबर एवं पेड़ पौधों से प्राकृतिक खाद बनाकर उसका वितरण करना

28. वृद्धा आश्रम , विधवा आश्रम ,अनाथालय बाल आश्रम के वस्त्रों का सिलाई के कार्य करना ।

29 क्रेडा व्दारा प्रायोजित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ।

सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमो व्दारा गवर्नर, परिषद, संचालको, समिति या शासी–निकाय को सौंपा गया है; जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे निविर्दिश्ट की गई है ।

क्र0	अभिदाता नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	उपजीविका
1.	अंकित कुमार देवांगन	श्री भीमसेन देवांगन	मकान नं. 03 सिन्हा बेकरी के पीछे भामाशाह चौक बजरंग पारा कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	व्यवसायी
2.	मनीष देवांगन	श्री प्रकाश देवांगन	मकान नं. वार्ड नं. 05 ओसवाल भवन के पास धमधा तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	व्यवसायी
3.	भीमसेन देवांगन	श्री तिलक राम देवांगन	मकान नं. 551 वार्ड नं. 12 सेम्हरा तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़	व्यवसायी
4.	श्रीमती टोमिन गंगबेर	पति श्री हिरेन्द्र कुमार गंगबेर	मकान नं. 00 ग्राम एवं पोस्ट फरदफोड़ तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़	गृहिणी
5.	श्रीमती कौशिल्या देवांगन	पति श्री मनीष देवांगन	मकान नं. वार्ड नं. 05 ओसवाल भवन के पास धमधा तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	गृहिणी
6.	श्रीमती खुशबू नाग	पति श्री जयंत कुमार नाग	मकान नं. 25 ग्राम एवं पोस्ट कुरेनार तहसील पंखाजूर जिला उ.बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़	गृहिणी
7.	जयंत कुमार नाग	श्री हरि राम नाग	मकान नं. 25 ग्राम एवं पोस्ट कुरेनार तहसील पंखाजूर जिला उ.बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़	कृषि व व्यवसायी
8.	हिरेन्द्र कुमार	श्री दीनदयाल	मकान नं. 00 ग्राम एवं पोस्ट किसना तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़	कृषि व व्यवसायी

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

त्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (कमांक 44 सन्1973) की धारा 6 के उपधारा (3) थथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ की गई है, हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए है उपरोक्त प्रतिशठान ज्ञापन के ण में सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे द ाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति मे ज्ञापन ताक्षर किए है।

क	अभिदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
	अंकित कुमार देवांगन	श्री भीमसेन देवांगन	मकान नं. 03 सिन्हा बेकरी के पीछे भामाशाह चौक बजरंग पारा कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	[signature]
.	मनीष देवांगन	श्री प्रकाश देवांगन	मकान नं. वार्ड नं. 05 ओसवाल भवन के पास धमधा तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	[signature]
3.	भीमसेन देवांगन	श्री तिलक राम देवांगन	मकान नं. 551 वार्ड नं. 12 सेम्हरा तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़	[signature]
4.	श्रीमती टोमिन गंगबेर	पति श्री हिरेन्द्र कुमार गंगबेर	मकान नं. 00 ग्राम एवं पोस्ट फरदफोड़ तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़	टोमीन बाई
5.	श्रीमती कौशिल्या देवांगन	पति श्री मनीष देवांगन	मकान नं. वार्ड नं. 05 ओसवाल भवन के पास धमधा तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	[signature]
6.	श्रीमती खुशबू नाग	पति श्री जयंत कुमार नाग	मकान नं. 25 ग्राम एवं पोस्ट कुरेनार तहसील पंखाजूर जिला उ.बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़	[signature]
7.	जयंत कुमार नाग	श्री हरि राम नाग	मकान नं. 25 ग्राम एवं पोस्ट कुरेनार तहसील पंखाजूर जिला उ.बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़	जयंत कुमार

[signatures]

8.	हिरेन्द्र कुमार	श्री दीनदयाल	मकान नं. 00 ग्राम एवं पोस्ट किसना तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़	HKAlw

तारीख :– 15 जनवरी 2025

प्रति;

सहायक पंजीयक

फर्म्स व सोसाइटी छ.ग.राज्य

नया रायपुर छत्तीसगढ़

साक्षी

हस्ताक्षर ....हेमलता....

नाम....श्रीमती हेमलता साहू

पति श्री . श्री खिलानंद साहू

पूर्ण पता ग्राम एवं पोस्ट कोचेरा तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़

मोबाइल– 9754608852

शुल्क 200 चालान क्र. 25003958 दि. 30/3/25 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्रं 122202537863 दिनांक 3/4/25 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी का दिनांक 5/6/2025

(सतीश शर्मा)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

-- - - -

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

24AA 605316

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़

इष्टश्री वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी
ज्ञापन के साथ संलग्न

(सतीश शर्मा)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

नियमावली

1. संस्था का नाम : **इष्ट श्री वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी ,भिलाई**

2. संस्था का कार्यालय : श्री अंकित कुमार देवांगन , मकान नं. 03 सिन्हा बेकरी के पीछे भामाशाह चौक बजरंग पारा कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : छत्तीसगढ़ राज्य

4. संस्था का उददेश्य :

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

1. देश के सर्व ग्रामीण विकास हेतु युवा प्रतिभाओं को विशेष प्रोत्साहन देना

2. देश में फैली कुरीतियों रूढ़ियों अंधविश्वास ,सामाजिक बुराई मद्यपान दूर करने का प्रयास और कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।

3 देश की ज्वलन समस्याओं के निराकरण हेतु सेमिनार , टेलीफ़िल्म के माध्यम से बीमारियों एवम् घातक बीमारियों के बारे में लोगो को जानकारी एवम् उपाय देना ।

4 ग्रामोद्योग एवं शहरीय उद्योगों , कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना शासन से संबंधित बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रशिक्षण , कौशल विकास कार्य प्रभावों के द्वारा सरकार का सहयोग देना

5 स्वास्थ्य संबंधी सरकार के शिक्षण प्रशिक्षण तथा शिविरों का आयोजन

6 शिक्षा का प्रसार करना एवं बढ़ावा देना है ।

7 साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षण केंद्र चल अचल पुस्तकालय सुविधा हेतु प्रयास करना ।

8 छत्तीसगढ़ी राजभाषा का प्रसार एवं प्रचार करना ।

9 शहर एवं गांवों में साक्षरता मिशन एवं परिवार नियोजन अभियान संचालित करना ।

10 महात्मा गांधी ग्रामोद्योग एवं हथकरघा संबंधित कार्य करना ।

11 समाज को राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित करना

12 ग्रामीण एवं आंचलिक कला संस्कृति के विकास के लिए कार्य करना

13 अतिवृष्टि अनावृष्टि क्षेत्रों में पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना

14 वृद्धाश्रम विधवा आश्रम बाल आश्रम छात्रावास का संचालन करना ।

15 ग़रीब असहाय , अनाथ, विकलांग, विधवा,बालक , बालिकाओं के विकास के लिए कार्य

16 जल संरक्षण एवं पेयजल समस्याओं को समस्या निराकरण के लिए उपाय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहयोग करना

7 राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की विषय को समझाने संबंधित कार्य करना ।

8 पर्यावरण संरक्षण है वृक्षारोपण जीवन ,जल ,जंगल संरक्षण संबंधित कार्य करना ।

9 किसानों के लिए कृषि संबंधित – अनाज कृषि , औषधीय जड़ी बूटी ,फल फूल कृषि , साग सब्जी कृषि , पशुपालन , बकरी पालन , कुटकुट पालन , बटेर पालन , मछली पालन , बाग़वानी फसल चक्र , संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार एवं कार्य करना ।

20 कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शासाकीय योजना कुआ , नलकूप , नदी उपकरण योजना , सिंचाई से संबंधित नहर कैनाल , सौर ऊर्जा कार्यक्रम का प्रसार प्रचार करना ।

21 सामाजिक जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं का प्रसार प्रसार एवं जरूरतमंदों के इलाकों में आवश्यक चीजों का वितरण करना

22 अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के लिए उन्मूलन एवं सामाजिक कार्य करना ।

23 महिला स्वसहायता समूह के गठन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करना

24 महिला सिलाई योजना एवं महिला स्वालंबन योजना का प्रसार प्रचार एवं प्रशिक्षण के कार्य करना ।

25 शिक्षा , महिला बाल विकास , स्वास्थ्य , रेलवे की योजनाओं का कियान्वयन करना ।

26 अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग , सामान्य वर्ग के युवक , युवतियों को आधुनिकी , तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उसको विकास में सहायक भूमिका अदा करना

27 पशुधन गोबर एवं पेड़ पौधों से प्राकृतिक खाद बनाकर उसका वितरण करना

28. वृद्धा आश्रम , विधवा आश्रम ,अनाथालय बाल आश्रम के वस्त्रों का सिलाई के कार्य करना ।

29 क्रेडा व्दारा प्रायोजित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ।

-सदस्यता–संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे ।

(अ.) **संरक्षक सदस्य :** संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 11,000/– या अधिक एक मुश्त देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब.) **आजीवन सदस्य :** जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप मे रूपये 8,000/–या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा । जो आजीवन सदस्य व्यक्ति दान के रूप 3,000/ रूपया या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकेगा ।

(स.) **साधारण सदस्य :** जो व्यक्ति रूपये 50/–प्रतिमाह अथवा 600/–रूपये प्रति वर्श संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोशजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के पत्र देने तथा बकाया चन्दे की रा‍ि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द.) **सम्मानीय सदस्य :** संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझें. सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा ।

6– **सदस्यता की प्राप्ति :** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकायरिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या आमान्य करने का अधिकार होगा !

7– **सदस्यों की योग्यता :– संस्था सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए**

अ/ आयु 18 वर्ष से कम न हो ब/ भारतीय नागरिक हो

य/ समिति के नियमों की पालन की प्रतिज्ञा करता हो

द/ सदचारित्र तथा मघपान न करता हों ।

8. **सदस्यता की समाप्ति :** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी ।

अ/मृत्यु हो जाने पर

ब/पागल हो जाने पर

स/संस्था की देय चन्दे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर

द/ त्याग–पत्र देने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

9 संस्था कार्यालय मे सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमे निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे ।

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवे ा दिया गया हो व रसीद नं.
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।
4. सदस्यो के हस्ताक्षर

10. अ. **साधारण सभा**: साधारण सभा मे नियम 5 मे दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे । साधारण सभा की बैठक आव यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक माह **जुलाई** अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक की कोरम 3/5 सदस्यो का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. **प्रबन्धकारिणी सभा** : प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य की भेजी जाना आवं यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

स. **विशेष** : यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी एक वि ोश संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :**

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत

ख. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

ग. आगामी वर्श के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

घ. अन्य ऐसे विशयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

छ. बजठ का अनुमोदन ।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन:** ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेगे । नियम 5 (अ. ब. स.) दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा ।

(अ.) अध्यक्ष (ब.) उपाध्यक्ष (स.) कोषाध्यक्ष (द.) सचिव

(ई.) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–03

13. **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :** प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । समिति का यथेष्टा कारण होने पर समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :**

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति 3 का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय –व्यय की लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्श साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । सस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौपे जाए।

च. संस्था की समस्त चल –अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जाएगी ।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पर विचार विम कर साधरण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधरण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मतों से संशोधित पारित होने का उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंन्धकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा मे से प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विशयों मे निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार :–**

1. साधारण सभा एवं प्रंबधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथ सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
2. समिति की आय –व्यय की लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करने साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी का देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 10,000/–व्यय करना का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार :–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वार स्वीकृत व्यय करना ।

20. **बैंक खाता**– संस्था की समस्त निधि अनुसूचित बैंक, सहकारी ,राष्ट्रीयकृत ,सरकार व्दारा प्रायोजित बैंक य पोस्ट आफिस में रहेगी । बैंक खाता संस्था के नाम होगा । बैंक खाता का संचालन व धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिनियम रूपये 12,000/– रहेगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** – अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्शिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय–नियत भुल्क के साथ भेजेगी ।

संशोधन–संस्था के विधान में संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आव यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा संस्था के विधान में सं ोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत भुाल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी । 8

25

23. **विघटन**–संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों कें 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्दे यों वाली संस्था को सौप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी ।

24. **सम्पति** –संस्था की समस्त चल अचल सम्पति संस्था के नाम से होगी। संस्था की अचल सम्पति स्थावर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्धारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी एवं उक्त हेतु निर्धारित अनुज्ञा भुाल्क संस्था द्धारा जमा की जायेगी ।

25. **बैंक खाता**– संस्था की समस्त निधि अनुसुचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्धारा बैठक बुलाना**–संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्धारा वार्षिक बैठक न बुलाया जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विशय निश्चित कर सकेगा ।

27. **विवाद**–संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । इस निश्चित से या निर्णयों से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

शुल्क 260 चालान क्र. 25003958 दि. 30/5/25 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र. 122202537863 दिनांक 3/4/25 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दि. जारी का दिनांक 5/6/2025

(सतीश शर्मा)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

24AA 605318

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी
नियमावली के साथ संलग्न

5/6/22

(सतीश शर्मा)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़